

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-1, नगीना बिजनौर।

दाण्डिक वाद सं०- 1093/2024

सरकार

बनाम

शिलगंगे सिंह आदि।

धारा-323,504,506 भा०दं०सं०।

थाना- कोतवाली देहात, जिला-बिजनौर।

मु०अ०सं० 336/2023

आरोप

मैं, अन्नू, न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज जू०डि०, कोर्ट नं०-1, नगीना, जिला बिजनौर आप शिलगंगे सिंह व जूली को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ :-

प्रथम:- यह कि दिनांक 09-12-2023 को समय 11:30 बजे वहद स्थान ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर अंतर्गत थाना क्षेत्र कोतवाली देहात, जिला बिजनौर में आपने वादिनी मुकदमा निर्मला पत्नी धर्मपाल को लात-घूसों व लाठी-डण्डों से स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय:- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी को लोक-प्रशान्ति भंग करने के आशय से गंदी-गंदी गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा 504 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि आपका विचारण उक्त अपराध में इस न्यायालय के समक्ष मेरे द्वारा किया जाये।

दिनांक: 03-03-2025

(अन्नू)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-1,
नगीना, बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होंने इन्कार किया और न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रार्थना की।

दिनांक: 03-03-2025

(अन्नू)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-1,
नगीना, बिजनौर।